न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं0–1),महोबा।

विशेष वाद संख्या– 19/2016

कम्प्यूटर संख्या– 14/2016

श्रीमती कांती बनाम प्रभू आदि।

02/06/2017 आदेश

प्रकीर्ण वाद पेश हुआ। आवेदिका श्रीमती कांती की ओर से प्रार्थना पत्र 3क मय शपथ पत्र 4ख अभियुक्तगण प्रभू, श्रीमती जनता व हरी राजपूत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–392, 452, 323, 504, 506 के अन्तर्गत तलब कर दण्डित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 3क के अनुसार आवेदिका दिनांक 20/02/2016 को समय करीब 08–00 बजे शाम ग्राम व थाना अजनर स्थित अपने घर पर अकेली थी कि गांव का प्रभू पुत्र विल्सू व श्रीमती जनता पत्नी प्रभू व हरी राजपूत पुत्र टीकाराम निवासीगण ग्राम अजनर एक राय होकर लाठी डण्डा लेकर आये और प्रार्थिया को बुरी–बुरी गालियॉ देने लगे और मकान में लगा गेट तोड दिया और मारपीट करने लगे तथा प्रभू ने हाथ की अंगुली में काट लिया। प्रार्थिया के कानों के सोने के आभूषण छीन लिये। प्रार्थिया के चिल्लाने पर गांव व मुहल्ले के तमाम लोग आग गये जिन्होंने प्रार्थिया को बचाया व घटना को देखा व सुना एवम् जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थिया घटना की रिपोर्ट करने थाना अजनर गयी किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इसके बाद प्रार्थिया ने पुलिस अधीक्षक, महोबा एवम् अन्य उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड सूचना प्रेषित किया जिस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर आवेदिका द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूची 5ख से का0सं0 6ख आवेदिका का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजनर का पर्चा, 7ख दो किता रजिस्ट्री की रसीदें, का0सं0 8ख फैक्स की रसीद, का0सं0 9ख मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को भेजा गया प्रार्थना पत्र, का0सं0 10ख एक किता फैक्स रसीद, का0सं0 11ख मुख्य मंत्री उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को भेजा गया प्रार्थना पत्र, का0सं0 12ख फैक्स रसीद, का0सं0 13ख

अध्यक्ष महिला आयोग, लखनऊ तथा का0सं0 14ख एक किता पहचान पत्र आवेदिका कांती दाखिल किये गये।

आवेदिका श्रीमती कांती ने स्वयं को धारा–200 दं0 प्र0 सं0 तथा धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के तहत पी0 डब्लू–1 श्रीमती जानकी व पी0 डब्लू–2 राजबहादुर उर्फ बहादुर को परीक्षित कराया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदिका के प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों का समर्थन आवेदिका ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0 प्र0 सं0 तथा धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के तहत श्रीमती जानकी व राजबहादुर उर्फ बहादुर ने किया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों तथा उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से विपक्षीगण प्रभू, श्रीमती जनता व हरी राजपूत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–392 के तहत आहूत किये जाने का प्रथमदृष्ट्या मामला प्रकट होता है।

अतः मामले के तथ्य एवम् परिस्थितियों में विपक्षीगण प्रभू पुत्र विल्सू व श्रीमती जनता पत्नी प्रभू व हरी राजपूत पुत्र टीकाराम निवासीगण ग्राम व थाना अजनर जिला महोबा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–392 के तहत विचारण हेतु आहूत किया जाता है। पत्रावली दिनांक /06/2017 को पेश हो। परिवादी द्वारा आवश्यक पैरवी की जाय। विपक्षीगण को हाजिरी हेतु समन जारी हों।

{गजेन्द्र कुमार}
अपर सत्र न्यायाधीश,(कोर्ट नं0–1),
महोबा।